I/260028/2023

पत्र संख्या HPFD-F05/190/2023-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 7.3391 ha of forest land in favour of Luni Power Company private limited for the construction of 33 kv S/C Transmission line from Luni-I SHEP to 33 KV HPSEBL Baijhnath Sub-Station within the jurisdiction of Palampur Forest Division in Distt. Kangra, HP.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPC/27/2023 दिनांक 07/08/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

(A) उन शर्तों की अनूपालना जिनका राज्य सरकार वन विभाग द्वारा सौंपने से पहले अनुपालना करेने की आवश्यकता है।

प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गई है।

10 राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 का पालन करेगी। इस सन्दर्भ मे बचनबधता संलगन की ली गई है।

20 भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

30 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेबसाईट www.parivesh.nic.in पर आनलाईन माध्यम से जमा करवा ली गई है।

40 पूर्ण अनपालना रिर्पोट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर दी गई है।

50 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिपूरक शूल्क (सी.ए लागत, एन0 पी0 वी0 आदि) वेब पोर्टल पर आनलाईन उत्पन्न चालान के माध्यम से Campa Fund मे जमा करवा दी है।

60 इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जो वचन पत्र दिया हुआ है वह संलग्न है।

70 एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जो वचन पत्र दिया हुआ है वह संलग्न है।

80 वन मण्डल अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

(B) उनशर्तों की अनूपानला जिनका राज्य वन विभागद्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन विभाग को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता है की अनुपानला निम्न प्रकार से हैः–

1ए वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ए काटे जाने वाले बाधक वृक्षों की संख्या किसी भी प्रकार से प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्वता upload कर ली गई है।

3ए वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4ए प्रस्तावित सी0ए0 भूमि वन विभाग के नाम है। सम्बन्धित पेपल अपलोड कर दी गई है।

5ए प्रतिपूरक वृक्षारोपण के स्थलों को नहीं बदला जाएगा। इस सन्दर्भ की बचन बद्वता अपलोड कर दी गई है।

6ए राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्वता संलगन है।

7ए वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उदेश्य के अलावा किसी दूसरे उदेश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

8ए माननीय उच्चतम न्यायल के अनुसार जब कभी छच्ट की राशि बढाई जाएगी तो उस बढी हुए राशि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जाएगा। इसकी बचनबद्वता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली गई है।

9ए स्थांनतरण के प्रस्तावित वन भूमि को केंन्द्रिय सरकार की पूर्व अनूमति के बिना किसी भी परिस्थितियों में किसी अन्य ऐंजेसी, विभाग को हंस्तातरित नहीं किया जाएगा।इस सन्दर्भ की बचन बद्वता अपलोड की दी गई है।

10ए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

11ए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

12ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित वन भूमि सरंक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे जिसके जिसके लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा धन उपल्बध करवाया जाएगा। इस सन्दर्भ में बचन बधता संलगन है।

13ए परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

14ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर/स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा। वचनबधता की प्रतिलिपी अपलोड की ली गई है।

15ए प्रस्तावित संचरण लाईन के लिए रास्ते के अधिकार की अधिकतम चौडाई वन भूमि पर 15 मीटर होगी। वचनबधता की प्रतिलिपी अपलोड की ली गई है।

16ए कंडक्टर तथा पेडों के बीच का फासला कम से कम 2.8 मीटर रखी जाएगी। कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जाऐगा। बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी आवश्यक होगा तो पेडों की काट छांट का कार्य स्थानिय वन मण्डल अधिकारी की अनुमती से ही किया जाएगा। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

17ए प्रयोक्ता अभिकरण जंगली जानवरों को बिजली के करंट के बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड कलियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर ब्रेकर स्थापित करेगी। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

18ए प्रयोक्ता अभिरण अपनी लागत पर पर पक्षियों को करन्ट से बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाईन के उपरी स्थानों पर पक्षी डिफलेक्टर लगाएगी। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

I/260028/2023

19ण प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग से विचार विर्मश करके संचरण लाईन के नीचे मार्गधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य से औषधिय पौधों के रोपण , सृजन व रख रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग का धन राशि उपलब्ध कराएगी। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

20ण मक निस्तारण जारी योजना के आधार पर ही किया जाएगा। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

21ण प्रयोक्ता अभिरण राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैया की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

22ण स्थानातरित वन भूमि की सिमाएं आगे तथा पीछे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित किया जाएगा। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

23ण पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के सन्र्दभ की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

24ण मक निस्तारण जारी योजना के आधार पर ही किया जाएगा। इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

25ण प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली समेंम की अवधि या परियोजना की अवधि , जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी। प्रयोक्ता अभिरण इस बात से सहमत है तथा इस संर्दभ की बचनबधता अपलोड कर ली गई है।

26ण पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी। पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी।

27ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

28ण इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यावाही की जाएगा। बचनबद्वता सल्गन है।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 12-10-2023 17:24:56

नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0